रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018/पौष 27, 1939
No. 27] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 36(अ).—अधिसूचना जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, का निम्नलिखित प्रारूप, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा; और

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या सीपीसीबी के सदस्य सचिव और मंत्रालय के वैज्ञानिक 'डी' को ई-मेल पते अर्थात mscb.cpcb@nic.in और h.kharkwal@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1)** इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।

 (2) ये नियम राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में अनुसूची-I में क्र.सं. 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्र.सं. तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात :-

क्र.सं.	उद्योग	मानदण्ड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"42	पेन्ट उद्योग	क उत्सर्जन मानक	
			संकेन्द्रण इससे अधिक न हो
		पार्टिकुलर मैटर (प्रि-मिक्सर तथा मिक्सर से संबद्ध सभी प्रक्रियाओं के निकास मार्ग)	50 मिग्रा /Nm^3
		टिप्पण :- (i) धूल उत्पन्न करने वाले सभी उपस्करों और प्रक्रियाओं में धूल निष्कासन की व्यवस्था की जाएगी। (ii) सभी बोरा गृहों (बैग हाउसेज) आदि को न्यूनतम 12 मीटर ऊँची या उद्योग में भवन, शेड, या संयंत्र के सर्वोच्च बिन्दु से न्यूनतम दो मीटर ऊपर, जो भी ऊँची हो, चिमनियों या चट्टों से जोड़ा जाएगा। (iii) इकाई शॉप फ्लोर या परिभ्रमणशील उत्सर्जनों को उद्योग में 12 मी. ऊँचाई वाले चट्टे या भवन या शेड संयंत्र के सर्वोच्च बिन्दु से न्यूनतम दो मीटर ऊपर के चट्टे, जो भी अधिक ऊँचा हो, के माध्यम से सरणीकृत करेगी।	
		ख. बहि:स्राव मानक	
		• बड़े पैमाने पर जल आधारित संयंत्र, प्रसंस्करण खंड से शून्य द्रव निस्सरण का पालन करेंगे। • सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अनुसार सभी सूक्ष्म लघु तथा मध्यम इकाइयाँ तथा विलायक आधारित बड़े पैमाने की पेंट इकाइयां निम्न प्रकार से मानकों का पालन करेंगी :	
		मानदंड	संकेन्द्रण इससे अधिक नहीं (मिग्रा/लि. pH, जैव निर्धारण को छोड़कर)
		pH	6.5 -8.5
		कुल सस्पेंडिड ठोस (TSS)	100
		बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (BoD)(27°C पर 3 दिन)	30
क्र.सं.	**उद्योग**	**मानदंड**	**मानक**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
		फेनोलिक्स $C_2 H_5OH$	1.0
		तेल और ग्रीस	10
		जैव निर्धारण परीक्षण	96 घंटों में 100% बहि:स्राव से 90% उत्तरजीविता
		भारी धातु	
		सीसा Pb	0.1
		क्रोमियम (हेक्सावेलेन्ट)	0.1
		कुल क्रोमियम	2.0
		तांबा Cu	2.0
		निकल Ni	2.0

		जिंक Zn	5.0
		आरसेनिक As**	0.2
		कोबाल्ट Co	0.2
		कुल भारी धातुएं	7.0
		ग - प्रयोगोपरान्त अपशिष्ट जल	
		उद्योग द्वारा प्रयोगोपरान्त अपशिष्ट जल के शून्य निस्सरण के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे, और यदि उद्योग प्रयोगोपरान्त अपशिष्ट जल का निस्सरण बेहतर समझता है, तो निम्नलिखित मापदण्डों का अनुपालन किया जाएगा :-	
			संकेन्द्रण इससे अधिक न हो (pH तथा तापमान को छोड़कर मिग्रा/प्रति लि.)
		pH	6.5 - 8.5
		सस्पेंडिड ठोस	100
		तेल और ग्रीस	10
		तापमान	अन्तर्ग्रहण जल के तापमान से 5°C से अधिक नहीं
		घ - वर्षा जल	
		(i) किसी संयंत्र, इकाई के लिए वर्षा जल, (जिसके भूखंड का आकार न्यूनतम 250 वर्ग मी. है) मार्जक जल बहि:स्राव और/या फर्श की धोवनों के साथ मिश्रित नहीं होने दिया जाएगा। (ii) किसी इकाई की बैटरी सीमा के भीतर वर्षा जल को, उच्च घनत्व पोलि एथीलीन (एचडीपीई) की लाइनों के माध्यम से गुजरने वाली भिन्न नाली / पाइप के द्वारा निकाल कर एक गड्ढे तक ले जाया जाएगा जिसकी क्षमता 10 मिनट (घंटेवार औसत से) के वर्षा जल को धारण करने की हो।	
		ड. विलायक क्षतियों के लिए दिशानिदेश	
		विलायक की कुल क्षति प्रयुक्त विलायक के 3% से अधिक नहीं होगी।	
		· · इकाइयां शोधित बहि:स्राव में भारी धातुआं की निर्धारित सीमाओं का पालन करेंगी तथापि, ऐसे मामलों में जहां अन्तर्ग्रहीत जल में भारी धातुओं का संकेन्द्रण निर्धारित सीमाओं से अधिक है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां भारी धातुओं की अधिक सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकती हैं, बशर्ते अधिकतम सीमा अन्तर्ग्रहण जल की पृष्ठभूमि सीमाओं तक निर्बन्धित हो ** यदि यदि भू-जल में As भू-संरचना जनित (जियोजेनिक) है, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां इस सीमा में समुचित रूप से छूट दे सकती हैं बशर्ते अपरिष्कृत जल (रॉ वाटर) में As से अधिक न हो और कुल भारी धातुओं की सीमा का अनुरक्षित रहे।	

[फा. सं. क्यू- 15017/39/2011-सीपीडब्ल्यू]

डा. ए. सेन्थिलवेल, वैज्ञानिक 'जी'

नोट :- मूल नियम भारत का राजपत्र असाधारण भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) का.आ. सं. 844(अ), दिनांक 19 नवंबर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 1607(अ) दिनांक 29 दिसंबर, 2017 के द्वारा संशोधित किये गये थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2018

G.S.R. 36(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Member Secretary, CPCB and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

IndiaCode

Draft Notification

The Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-l, for serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Industry</th><th>Parameter</th><th>Standards</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">“42</td><td rowspan="4">Paint Industry</td><td colspan="2">A- Emission Standards</td></tr>
<tr><td></td><td>Concentration not to exceed</td></tr>
<tr><td>Particulate Matter (all process vents attached to pre-mixers and mixers</td><td>50 mg/Nm^3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Note:-
(i) All dust generating equipment or processes shall be provided with dust extraction arrangement.
(ii) The bag houses, etc. shall be connected to chimneys or stacks of at least twelve metres height or at least two metres above the top most point of the building, shed or, plant in the industry, which so ever is higher.
(iii) The unit shall channelise shop floor or fugitive emissions through a stack of twelve metres height or at least two metres above the top most point of the building or shed or plant in the industry, which so ever is higher.</td></tr>
</table>

		B. Effluent Standards	
		• Large scale water based plants shall meet zero liquid discharge from process section. • All Micro, Small and Medium units as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and Solvent based large scale paint units shall meet the standards given below:	
		Parameter	Concentration not to exceed, (in mg/l except for pH and Bioassay)
		pH	6.5 – 8.5
		Total Suspended solid (TSS)	100
		Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD) (3 days at 27°C)	30
S.No.	**Industry**	**Parameter**	**Standards**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
		Phenolics as C_6H_5OH	1.0
		Oil and Grease	10
		Bio-Assay Test	90% survival in 100% effluent in 96 hours
		Heavy Metals*	
		Lead as Pb	0.1
		Chromium (Hexavalent)	0.1
		Total Chromium	2.0
		Copper as Cu	2.0
		Nickel as Ni	2.0
		Zinc as Zn	5.0
		Arsenic as As**	0.2
		Cobalt as Co	0.2
		Total Heavy metals	7.0
		C- Service Wastewater	
		All efforts shall be made by the industry for 'zero discharge' of service wastewater, and in case, the industry prefers to discharge service wastewater, the following norms shall be complied with:-	
			Concentration not to exceed, (in mg/l except for pH and temperature)
		pH	6.5 – 8.5
		Suspended Solids	100
		Oil and Grease	10
		Temperature	Not more that 5°C higher than the intake water temperature
		D- Storm-Water	

IndiaCode

		(i) Storm water for a plant, a unit (having plot size at least 250 square metres) shall not be allowed to mix with scrubber water, effluent and/or floor washings. (ii) Storm water within the battery limits of a unit shall be channelized through separate drain/pipe passing through a High Density Poly ethylene (HDPE) lines pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall.
		E- Guidelines for Solvent Losses
		The total losses of solvent should not be more than 3% of the solvent consumed.
		* The units shall meet the prescribed limits of heavy metals in treated effluent, however, in cases where heavy metal concentration in intake water is more than prescribed limits, State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees may specify higher limits of heavy metals provided the maximum limits are restricted to the background limits of intake water. ** In case As is geogenic in ground water, the State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may relax the limit with respect to it appropriately, provided the built of As in waste water does not exceed 0.2 mg/l over and above the As in raw water and limit with respect to total heavy metals is maintained.

[F. No. Q-15017/39/2011-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 1607(E), dated the 29th December, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.01.19 15:35:08 +05'30'